न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टीए / 5479 / 2005 / चुरू

1. बनवारी लाल पुत्र स्व. डूंगरराम, जाति माली, निवासी सिंघूड कुवा के पास, चूरू।
2. राजकुमार पुत्र स्व. डूंगरराम (मृतक) के कायम मुकाम :–
   2/1. मैनादेवी पत्नि राजकुमार
   2/2. लालचंद पुत्र राजकुमार
   2/3. महेन्द्र पुत्र राजकुमार
   समस्त जाति माली, निवासी सिंधूड कुवा के पास, चूरू।
   2/4. सरोज पुत्री राजकुमार पत्नि रामचन्द्र माली निवासी जालेव तहसील रतनगढ जिला चूरू
   2/5. कान्तादेवी पुत्री राजकुमार पत्नि शंकरलाल माली निवासी जालेव तहसील रतनगढ जिला चूरू
   2/6. सुमनदेवी पुत्री राजकुमार पत्नि केसरसिंह माली निवीस फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर
3. मीरा पुत्री डूंगरराम पत्नि गोपालाराम, नि० बिसाऊ
4. सत्यनारायण पुत्र स्व. मोहनी देवी, निवासी रामगढ,
5. मूली बेवा बजरंगलाल, जाति माली, निवासी सिंधूड कुवा के पास, चूरू।
6. बाबूलाल पुत्र बजरंगलाल, जाति माली, निवासी सिंधूड कुवा के पास, चूरू।
7. नानूराम पुत्र मु.बाली, जाति माली, निवासी सिंधूड कुवा के पास, चूरू।
8. सीलू पुत्री स्व. बजरंगलाल नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता श्रीमति मूली।

अपीलांट्स

बनाम

1. बजरंगलाल पुत्र मालाराम
2. किशनलाल पुत्र मालाराम
3. गीता बेवा बद्रीप्रसाद
4. शंकरलाल पुत्र बद्रीप्रसाद
5. रामकुमार पुत्र स्व. मालाराम(मृतक) के कायम मुकाम :–
   5/1. देवकीदेवी पत्नि रामकुमार (फौत) (नाम तर्क)
   5/2. प्रकाशचंद पुत्र रामकुमार
   5/3. परमेश्वरीदेवी पुत्री रामकुमार
   5/4. पुष्पादेवी पुत्री रामकुमार
   5/5. कैलाश पुत्र रामकुमार

जाति माली, निवासी चूरू, तहसील व जिला चूरू।

असल रेस्पोडेन्ट्स

6. भंवरी पुत्री बाली
7. भवरी देवी पुत्री मोहनी देवी पत्नि रामावतार माली, निवासी रेल्वे स्टेशन के पास लक्ष्मणगढ़ सीकर
8. धापा पुत्री स्व. बजरंगलाल, जाति माली, निवासी सिंघूड कुवा के पास, चूरू।
9. किशन पुत्र स्व. बजरंगलाल, जाति माली, निवासी सिंधूड कुवा के पास, चूरू।
10. नन्दलाल पुत्र स्व. बजरंगलाल, जाति माली, निवासी चूरू।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू।

तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड–पीठ
श्री सानुज कुलश्रेष्ठ, सदस्य
श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित :
श्री माधवराज सिंह, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण।
श्री अजीत लोढा, विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः– 06–2–2026

1– यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर कैंप चूरू (प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा अपील संख्या 14/2004 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27–10–05 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील ज्ञापन के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट सं. 1 लगायत 5 वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू के समक्ष इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि साबिक खसरा नंबर 332 रकबा 63 बीघा 4 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 785 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा, 786 रकबा 14 बिस्वा व 787 रकबा 26 बीघा 12 बिस्वा कुल रकबा 36 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम कस्बा स्थित है में से 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर बंटवारा किया जावे। उक्त भूमि वादीगण के दादा हीराराम के कब्जे काश्त की भूमि थी व गीगाराम के 2 पुत्र गणपत राम उर्फ गणिया एवं गंगाराम हुए। गणपतराम उर्फ गणिया के वारिसान प्रतिवादीगण हैं एवं गंगाराम के एक पुत्र मालाराम हुआ जिसके वारिसान वादीगण हैं। अतः आराजी मुतनाजा में वादीगण को

आधे हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर आराजी मुतनाजा का बंटवारा कराया जावे। वादीगण के उक्त वाद का नोटिस अपीलांट्स प्रतिवादीगण पर तामील होने पर प्रतिवादीगण ने दावे के तथ्यों को इन्कार कर जवाब दिया कि विपक्षी ने जो सजरा अपने वाद पत्र में दर्ज किया है वह कतई गलत है गंगाराम के मृतक मालाराम के अलावा लच्छाराम, छाववराम, भीवाराम पुत्र थे जिसमें लच्छाराम आज भी जीवित है। गंगाराम एवं गणपतराम की मृत्यु की सम्वत् गलत लिखी हुई है व वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व उनके पिता का कोई कब्जा आज दिनांक तक नहीं रहा व यदि विपक्षी ने कोई फर्जी इन्द्राज करा लिया है तो भी वह गलत है। प्रतिवादीगण के पिता गणपत उर्फ गणिया बीकानेर राज्य के समय प्रचलित काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार खातेदार काश्तकार दर्ज थे व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय भी गणपतराम के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज होने के कारण उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए थे और कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के कारण यह गणपत उर्फ गणिया की निजी खातेदारी रही है व उनकी मृत्यु होने पर जरिये इन्तकाल नम्बर 135 से प्रतिवादीगण के नाम उक्त आराजी का अंकन किया गया है। विपक्षीगण का आज दिनांक तक न तो कोई कब्जा है न ही कोई हक है। अतः सारे तथ्य वाद में गलत व निराधार दर्ज किए हैं व वाद में आवश्यक पक्षकारों को भी पक्षकार नहीं बनाने के कारण दावा खारिज योग्य है। इसके अलावा विशेष आपत्तियों में अपीलांट्स / प्रतिवादीगण ने यह भी निवेदन किया कि बीकानेर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आराजी चार साला काश्त करने का प्रावधान था तथा प्रतिवादीगण के पिता गणपत ने अपने परिवार से अलग होने के बाद कब्जे काश्त में ली जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। लगातार काबिज काश्त चले आने के कारण उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए व उन्होंने अकेले ही राजस्व लगान अदा किया है। अतः वादीगण का कोई कब्जा व हक आराजी मुतनाजा में नहीं है। अतः वादीगण का वाद निरस्त किया जावे। दावे व जवाबदावे के आधार पर परीक्षण न्यायालय ने दावे में 4 तनकीयात कायम की व चारों तनकीयात पर सम्पूर्ण साक्ष्य का विवेचन करते हुए सभी तनकीयात का निर्णय वादीगण के विरूद्ध करते हुए वादीगण का वाद सिद्ध न होना मानकर वादीगण का वाद अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 8–4–2004 द्वारा खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध वादीगण/ रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 5 ने प्रथम अपील भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर कैम्प चूरू के न्यायालय में प्रस्तुत की, जिन्होंने रेस्पोडेंट/ वादीगण का वाद अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27–10–05 द्वारा डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर हस्तगत् द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3– विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील ज्ञापन में उद्धरित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कहा कि अपीलीय न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री कानून एवं तथ्यों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अपीलीय न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है कि उनके समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 3 बाली पुत्री डूंगरराम पत्नि मुरलीधर का देहान्त दौराने अपील हो चुका था व रेस्पोडेंट/वादीगण ने बाली के वारिसानों को पक्षकार न बनाकर मृत व्यक्ति के विरूद्ध डिक्री पारित करवा ली है। ऐसी स्थिति में मु०बाली के वारिसानों को समयावधि में रिकार्ड पर न लाने के आधार पर विपक्षी

की अपील, अपीलीय अधिकारी के समक्ष अबेट हो चुकी थी, किन्तु अपीलीय अधिकारी ने मृत व्यक्ति के विरूद्ध डिक्री पारित कर दी है जो कतई बिलाधिकार है एवं शून्य प्रभावी है। अपीलीय न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है कि बीकानेर काश्तकारी अधिनियम के तहत गणपत उर्फ गणिया आराजी मुतनाजा के काश्तकार दर्ज थे व उनका नाम राजस्व रिकार्ड में सम्वत् 2006 से ही लगातार दर्ज रहा है व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने पर भी उन्हें धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् खातेदारी हक स्वतः ही प्राप्त हो चुके थे। अतः अपीलांट्स के दादा गणपत उर्फ गणिया को जो अधिकार कानूनन प्राप्त थे इसमें वादीगण का कोई हक व हिस्सा नहीं था. किन्तु राजस्व अपील प्राधिकारी ने बीकानेर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने पर जो अधिकार गणपत उर्फ गणिया एवं उसके पुत्रों को प्राप्त हुए हैं, उसके बाबत् कोई विवेचना न कर कयासों के आधार पर वादीगण को एक ही खानदान का व्यक्ति होना मानकर उसमें वादीगण को आधे हिस्से का खातेदार घोषित करने की गैर कानूनी डिक्री पारित कर दी है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है कि गणपत उर्फ गणिया की मृत्यु के पश्चात् नामान्तरकरण संख्या 135 प्रदर्श डी–1 दिनांक 11.1.79 को गणपत के स्थान पर डूंगर व मोहनी के नाम दर्ज किया गया है जिसके विरूद्ध भी विपक्षीगण ने आज दिनांक तक कोई अपील किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार विपक्षीगण ने गत 30–40 वर्षों से कोई आपत्ति गणपत उर्फ गणिया के नाम के बाबत् पेश नहीं की व गलत तौर पर सन् 1989 में यह वाद असत्य कथनों के आधार पर प्रस्तुत किया है, जिसे डिक्री करने में प्रथम अपीलीय अधिकारी ने विधिक त्रुटि कारित की है। विपक्षी वादीगण का किसी भी प्रकार से आराजी मुतनाजा में आधा हिस्सा नहीं बनता है जैसा कि परीक्षण न्यायालय ने निष्कर्ष दिया है कि आराजी मुतनाजा के बाबत् जो सजरा वादीगण ने पेश किया है उसके अनुसार भी हीराराम, नानक, धोकल, लच्छाराम, झावरराम, मीराराम आदि के वारिसों को पक्षकार नहीं बनाया है। अतः किसी भी प्रकार से वादीगण का वाद सिद्ध नहीं था। आराजी मुतनाजा में गणपत उर्फ गणिया के साथ उसके पुत्र डूंगर व माला का नाम दर्ज हुआ है वह माला गंगाराम का पुत्र नहीं है बल्कि वह जमाबंदी में दर्ज माला वल्द उमरेदा है व इसके अलावा इस जमीन पर मालचन्द वल्द शोभाचंद कोठारी की काश्त भी 1982 में दर्ज रही है। अतः ऐसी स्थिति में गणपत उर्फ गणिया की भूमि पर माला जिसकी कि वल्दीयत दर्ज नहीं है उसे बिलावजह गंगाराम का पुत्र होना मानते हुए वादीगण का वाद गलत डिक्री किया है। जमाबन्दी सम्वत् 2008 से 11 में आराजी मुतनाजा गणिया की खातेदारी में दर्ज है व जमाबन्दी सम्वत् 2024 से 27 व 2034 में गणिया की खातेदारी में दर्ज है व जमाबंदी सम्वत् 2038 से 47 तक की जमाबंदी में भी गणिया के पुत्र डूंगरराम व उसकी पुत्री मोहनी का नाम बतौर खातेदार दर्ज है। अतः गत 50 वर्षों के रिकार्ड में विपक्षी का नाम दर्ज न होते हुए भी बिना किसी कब्जे के विपक्षीगण का वाद डिक्री कर उन्हें आधे हिस्से का खातेदार घोषित करने एवं बंटवारे की डिक्री पारित करने में त्रुटि कारित की गई है। अपीलीय न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय द्वारा कायम तीनों तनकीयात का निर्णय गैरकानूनी तौर पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध किया है। अपीलीय न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं बीकानेर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों एवं रिकार्ड पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं बयानात

की विवेचना अपने निर्णय में नहीं की। विचारण न्यायालय ने प्रत्येक वाद बिन्दु पर विस्तारपूर्वक विश्लेषण एवं विवेचन करते हुए वादी द्वारा वाद सिद्ध नहीं कराये जाने के उपरांत वाद पत्र खारिज किया है, जिसमें तथ्य या विधि संबंधी कोई त्रुटि नहीं है। अपीलीय न्यायालय द्वारा विवाद्यक बिन्दु वादी प्रत्यर्थी द्वारा सिद्ध नहीं करने पर भी उनके पक्ष में निर्णित किये है। अतः यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुये विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री बहाल रखे जाने का निवेदन किया गया। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा दौराने बहस लिखित बहस प्रस्तुत करने का निवेदन किया था किंतु निर्णय लिखाने तक उनके द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत नहीं की गई।

4 — विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने उपरोक्त तथ्यों को विरोध करते हुये लिखित बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में पक्षकारों की प्लीडिंग के अनुरूप कुल चार तनकियात कायम की गई। तनकी संख्या 1 यह निर्मित की गई कि "आया कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 332 हाल खसरा नम्बर 785 तादादी 9 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 786 तादादी 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 787 तादादी 26 बीघा 12 बिस्वा, रोही कस्बा चूरू के वादीगण 1/2 हिस्से के खातेदार काबिज काश्तकार है।" उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार विचारण न्यायालय द्वारा मौजूदा रेस्पोडेन्ट/वादी पर डाला गया था। वादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिलिपि मिसल बन्दोबस्त सम्वत 1982 EX-P1, प्रतिलिपि जमाबंदी सम्वत 2012—15. गिरदावरी सम्वत 2021—23, EX-P4 2020—21, EX-P5, 2024—27, EX-P6, 2028—31, 2006—10, जमाबंदी सम्वत 2008—2011, 2016—2019, 2024—2026, 2038, 2028—2047, 2008—2011, 2034, गिरदावरी सम्वत 2011—2014, 2031—2033, 2036—2038, 2039—2042 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए थे तथा अपनी मौखिक साक्ष्य में पीडब्ल्यू—1 बजरंगलाल, पीडब्ल्यू—2 किशनलाल, पीडब्ल्यू—3 भीमराज, पीडब्ल्यू 4 सावरमल की मौखिक साक्ष्य कराई गई। विचारण न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज व मौखिक साक्ष्य का सविस्तार उल्लेख उक्त तनकी मे पारित निर्णय पर किया है एवं यह माना कि पत्रावली पेश प्रमाणित प्रति मिसल बन्दोबस्त कस्बा चूरू सम्वत 1982 मे साबिक खसरा नम्बर 323 हाल 332 रकबा 62 बीघा मुस्मात जीवणी बेवा गुलाब एक हिस्सा, ईसर वल्द सुरजा एक हिस्सा, भिमा व पिथा पिसरान तोला बहिस दो हिस्सा माली सकनाए देह दर्ज है तथा खाता संख्या 6 में मालचंद वल्द शोभा चंद बाणियां कोठारी साकिन देह दर्ज है. इसी प्रकार गिरदावरी सम्वत 2020 जो ई एक्स पी 4 है, दर्ज है। गिरदावरी सम्वत 2025 से 27 जो इएक्स पी 5 है, उक्त अनुसार दर्ज है। इसी प्रकार गिरदावरी सम्वत 2028 से 2030 जो ईएक्सी पी—6 दर्ज है। विचारण न्यायालय द्वारा उनके समक्ष समस्त सक्षम व सबल साक्ष्य होने के बावजूद कयासी आधार व मनमाने विवेचन के आधार पर यह मान लिया कि इसके अलावा ऐसा कोई सबूती दस्तावेज वादीगण ने पेश नहीं किया है, जबकि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा प्रस्तुत विवादग्रस्त आराजीयात के बाबत सम्वत 1982 के मूल दस्तावेज का भी भलीभांति अवलोकन नही किया व वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत 2012—2015 पर मनमाने आधारो पर यह मान लिया कि इसके अलावा उक्त जो माला डूंगर अंकन है, उसमे भी वल्दीयत आदि दर्ज नही है, जिससे यह पता नहीं चलता कि यह किस काश्तकार का

अंकित हैसियत से नाम अंकन है। इस प्रकार साबिक खसरा नम्बर 332 हाल खसरा नम्बर 785, 786, 57 कुल 36 बीघा 16 बिस्वा कृषि भूमि रोही कस्बा चूरू के 1/2 हिस्से को प्रमाणित करने में असफल रहा है। विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट/वादी द्वारा प्रस्तुत सजरे को भी सजरा साबित होने के बावजूद नकार दिया गया है, जबकि सजरा परिवार की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट कर रहा है। किंतु विचारण न्यायालय ने वादीगण को कायम तनकी संख्या 1 को प्रमाणित करने में असफल मानते हुये तनकी संख्या 1 खिलाफ वादीगण निर्णित की। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तनकी के बाबत वादी/मौजूदा रेस्पोडेन्ट द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत की गई सक्षम व सबल साक्ष्य को पूर्ण रूप से दरकिनार कर अपनी आक्षेपित फाईण्डिग व मनमाने विवेचन से विधि विपरीत तौर पर वादी का वाद पूर्णतयासिद्ध होने के बावजूद निरस्त करने में कानूनी त्रुटि की थी, जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिवत तौर पर स्वीकार कर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27. 10.2005 के द्वारा मौजूदा रेस्पोडेन्ट/वादी की अपील को विधिवत स्वीकार कर विधिवत तौर पर वादी का वाद सबल साक्ष्य के आधार पर डिक्री किया है। विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 2 यह निर्मित की गई कि "आया खसरा नम्बर 785, 786, 787 रोही कस्बा चूरू मे वादीगण के 1/2 हिस्से का बटवारा किया जावे।" विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 2 का निर्णय केवल मात्र तनकी संख्या 1 के आधार पर यह मानते हुए कि कस्बा चूरू खसरा नम्बर 785, 786, 787 के बाबत तनकी संख्या 1 के निर्णय में वादीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार नही मानकर तनकी संख्या 1 विरूद्ध वादीगण निर्णित की जा चुकी है, इसलिए उक्त कृषि भूमि में वादीगण 1/2 हिस्सा बंटवारा करवाने का अधिकारी नहीं है, जबकि उन्हें इस तनकी बाबत विस्तृत साक्ष्य का उल्लेख कर विवेचन कर उक्त तनकी पर निर्णय पारित करना चाहिए। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तनकी के बाबत वादी/ मौजूदा रेस्पोडेन्ट द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत की गई सक्षम व सबल साक्ष्य को पूर्ण रूप से दरकिनार कर अपनी आक्षेपित फाईण्डिग व मनमाने विवेचन से विधि विपरीत तौर पर वादी का वाद पूर्णतयासिद्ध होने के बावजूद निरस्त करने में कानूनी त्रुटि की है, जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिवत तौर पर स्वीकार कर वादी का वाद डिक्री किया है। अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने विस्तृत विवेचन में समस्त दस्तावेजी व जबानी साक्ष्य का उल्लेख कर यह माना गया कि मिसल बंदोबस्त सम्वत 1982 (प्रदर्श–पी–1) के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 332, 361, 365 और 442 में मु० जीवणी 1 हिस्सा, ईशर 1 हिस्सा गीगा व गीधा बराबर दो हिस्सा का उल्लेख खातेदार कॉलम में है, काश्तकार कॉलम में मालचंद कोठारी का नाम दर्ज है. इस प्रकरण में केवल खसरा नम्बर 332 ही विवादपूर्ण है, शेष तीनो खसरा नम्बरान को संयुक्त रूप से खातेदारी मे होना दोनो पक्ष स्वीकार करते है। उक्त दस्तावेज से यह पूर्णतया सिद्ध था कि मौजूदा रेस्पोडेन्ट/वादी का विवादग्रस्त आराजीयात मे अपीलांट / प्रतिवादीगण के पूर्वजो के समय से हिस्सा चला आ रहा था। विचारण न्यायालय ने प्रथम तनकी के निर्णय में यह निष्कर्ष अंकित किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि को वादीगण की पैतृक कृषि भूमि प्रमाणित कर अपने कब्जा काश्त व खातेदारी की भूमि हो कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है. इसके अलावा उक्त जो माला, डूंगर अंकन है, उसमे भी वल्दीयत आदि दर्ज नहीं है, जिससे यह पता नहीं चलता है कि किस काश्तकार का किस हैसियत से नाम दर्ज है। यह निष्कर्ष प्रस्तुत राजस्व अभिलेख के विपरीत है, क्योंकि गंगाराम व गणपत गीगा के वारिसान है

(प्रदर्श पी–1) संवत 1982 वंशावली में गीगा के दो पुत्र गंगाराम व गणपत उर्फ मणिया अंकित किया गया है। जिसका खंडन प्रतिवादीगण ने नही किया, अर्थात् जवाब दावे में उणिया का भाई गंगाराम होने से इन्कार नहीं किया। गंगाराम को संवत 1996 में फौत होना बताते है और सम्वत 1996 में ही गणपत उर्फ उणियां का नाम दर्ज हुआ (प्रदर्श डी–2) जवाबदावे मे प्रतिवादीगण संवत 1982 में मालचंद कोठारी के द्वारा जमीन छोडना और उणियां का कब्जा होना बताते है, जबकि सही तथ्य है कि उणिया का सर्वप्रथम नाम संवत 1996 में आया है और वादी पक्ष अपने दादा गंगाराम का देहान्त सम्वत 1996 में होना बताते है। मालाराम को नाबालिग बताया है, इसलिए अकेले मणिया का नाम दर्ज हुआ है संवत 1996 से पूर्व गंगाराम का देहान्त होना प्रतिवादीगण ने प्रमाणित नही किया। माला व डूंगर का नाम काश्त कॉलम में नहीं है, बल्कि खातेदार / कृषक कॉलम मे मणिया फौत हो गया के नीचे दर्ज है। डूंगर मणियां का पुत्र तो माला भतीजा। माला व डूंगर इसी खानदान के सदस्य प्रमाणित होते है, क्योंकि दोनो का नाम संवत 2030 तक खसरा गिरदावरियो के कॉलम खातेदार / कृषक में यथावत रूप से चलता रहा है और जमाबंदी सम्वत 2012–15 में भी नाम दर्ज है। प्रतिवादीगण ने माला को खानदान के अतिरिक्त या अजनबी व्यक्ति होना साबित नहीं किया है। इस कारण अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिवत तौरपर वादीगण / रेस्पोडेन्ट का वाद डिक्री किया है। अपीलीय न्यायालय द्वारा यह माना गया कि खसरा नम्बर 332, 361, 365, 442 की भूमि प्रारम्भ में एक ही खाते की भूमि थी, जिसमे (प्रदर्श पी–1) गीगा व गीधा का बराबर दो हिस्सा खातेदार कॉलम में दर्ज था, इसलिए जब खसरा नम्बर 361, 365, 442 गीगा व गीधा के खानदान के सदस्यो के पास ही है, जिसमे वादीगण व प्रतिवादीगण भी सम्मिलित है, संयुक्त रूप से खातेदारी यथावत रूप से चली आ रही है। साबिक खसरा नम्बर 332 की भूमि में गणपत उर्फ गणिया को टिनेन्ट की हैसियत से अधिकार प्राप्त नही थे, बल्कि वह काश्तकार था (प्रदर्श डी) और सम्वत 2001 में फौत होने के कारण संवत 2012–15 की जमाबंदी मे गणिया वल्द गीगा फौत माला, डूंगर का जो अंकन किया गया है, उससे भली प्रकार प्रमाणित है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान (सम्वत 2012) के लागू होने से पूर्व गणिया मर गया था और सम्वत 2012 में ही बतौर वारिसान माला व डूंगर का नाम दर्ज कर दिया गया। इनके वारिसान होने पर शंका करने की कोई गुजाईश प्रतीत नही होती है। मालाराम के अन्य भाईयो या अन्य खसरा नम्बरान के सहखातेदारान को पक्षकार नही बनाने के कारण वाद अनुतोष पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अन्य संभावित पक्षकारों ने संभावित पक्षकार नही बनाने के लिए आपत्ति प्रकट नहीं की और बतौर पक्षकार बनने के लिए आवेदन भी नहीं किया। उनका हित यदि वे चाहेगें, तो वादीगण के हितो में ही निहित होगा। प्रतिवादीगण ने अपने मौखिक साक्ष्यो से प्रश्नगत भूमि स्वअर्जित होना या बीकानेर टिनेन्सी के तहत खातेदारी होना या इन्तकाल संख्या 201 का सही होना प्रमाणित नही किया है। वाद पत्र के कथन बाबत वंशावली, गंगाराम की मृत्यु सम्वत 1996 में होना और माला का बतौर वारिसान नाम आना या खानदानी सदस्य होना प्रमाणित है। अपीलीय न्यायालय द्वारा समस्त दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का विधिवत अवलोकन कर एवं मौजूदा रेस्पोडेन्ट/वादी के पूर्वजो का कब्जा सम्वत 2012 से अपीलांट / प्रतिवादीगण के पूर्वजो के साथ चला आना मानते हुए तनकी संख्या 1 व 2 का निर्धारण वादी पक्ष में किया है एवं विचारण न्यायालय द्वारा जो तनकियात बाबत विधि

विपरीत निर्णय पारित किया, उसे निरस्त किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 3 यह निर्मित की गई कि "आया विवादित भूमि की खातेदारी बीकानेर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनसार खातेदारी मिलने से वादीगण का इस भूमि पर कोई हक अधिकार नहीं बनता।" विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे तनकी संख्या 3 को साबित करने का भार मौजूदा अपीलांट / प्रतिवादी पर नियत किया गया था, जिसके संबंध में उनके द्वारा कोई सक्षम व सबल साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई, फिर भी उनके द्वारा जिस तनकी को वादी को सिद्ध करना उसे गफलतपूर्वक प्रतिवादी की तनकी मे अंकन कर यह मान लिया गया कि तनकी संख्या 1 में वर्णित अनुसार विवादित भूमि प्रतिवादीगण के पिता के नाम से बीकानेर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार दर्ज रिकार्ड हुई है, जबकि मौजूदा अपीलांट / प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अपनी जबानी व दस्तावेजी साक्ष्य मे प्रस्तुत नहीं किया था, साथ ही उनके द्वारा मनमाने व कयासी विवेचन के आधार पर यह मानते हुए पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा बिना उनके समक्ष प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का सम्पूर्णता मे उल्लेख व अवलोकन करते हुए कयासी व मनमाने विवेचन के आधार पर यह मान लिया कि उसके बाद टिनेन्सी एक्ट प्रभाव में आने के बाद उसके प्रावधानो के अनुसार प्रतिवादीगण / मौजूदा अपीलांट के नाम से वादग्रस्त भूमि दर्ज हुई है, जो विधिवत कानून सम्मत तरीके से दर्ज हुई है, जिसकी खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम से है, वादीगण का इस भूमि पर कोई हक अधिकार नही बनता है, अतः तनकी संख्या 3 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की गई। अपीलीय न्यायालय द्वारा यह माना गया कि विचारण न्यायालय द्वारा बिना किसी ठोस अभिलेखीय साक्ष्य के तनकी संख्या 3 का निर्णय प्रतिवादीगण / अपीलांट के पक्ष में किया गया है व तथ्यात्मक एवं प्रदत्त शहादत के विरूद्ध है, इस कारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस तनकी बाबत किए गए निर्णय को उनके द्वारा अपील स्तर पर निरस्त किया गया है। अपीलीय न्यायालय द्वारा यह माना गया कि विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तनकी के बाबत प्रतिवादी / मौजूदा अपीलांट द्वारा उनके समक्ष कोई सक्षम व सबल साक्ष्य प्रस्तुत नही होने के बावजूद अपनी आक्षेपित फाईण्डिग व मनमाने विवेचन से विधि विपरीत तौर पर प्रतिवादीगण के पक्ष में अभिनिर्णित करने में कानूनी त्रुटि की है, जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिवत तौर पर स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तनकी बाबत विधि विपरीत पारित निर्णय व निष्कर्ष के द्वारा विधिवत तौर पर रिवर्स कर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27.10.2005 के द्वारा वर्तमान रेस्पोडेन्ट/वादी की अपील को विधिवत स्वीकार कर डिक्री किया है। अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिवत तौर पर प्रकरण मे विचारण न्यायालय के समक्ष मौजूदा रेस्पोडेन्ट / वादी द्वारा प्रस्तुत सक्षम व सबल दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर प्रश्नगत भूमि गत खसरा नम्बर 332 रकबा 63 बीघा 4 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 785 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा, 786 रकबा 14 बिस्वा और 787 रकबा 26 बीघा 12 बिस्वा कुल रकबा 36 बीघा 16 बिस्वा वाके रोही कस्बा चूरू मे वादीगण को 1/2 हिस्से के खातेदार घोषित करते हुए इसी प्रकार भू–विभाजन कराने के हकदार घोषित किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा समस्त दस्तावेजात एवं जबानी व दस्तावेजी साक्ष्य को मध्यनजर रखते हुए विधिवत न्याय व निर्णयन पारित किया गया है एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित विधि विपरीत निर्णय को प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिवत तौर पर डिक्री किया। अतः प्रस्तुत अपील

खारिज की जाकर प्रथम अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.10.2005 को बहाल रखा जावे।

5– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालयों के रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

6– पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि रेस्पोडेंट सं. 1 लगायत 5 वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू ने निर्णय व डिक्री दिनांक 8–4–04 द्वारा खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर कैंप चूरू ने निर्णय व डिक्री दिनांक 27–10–05 द्वारा स्वीकार कर प्रत्यर्थी सं.1 से 5 को विवादित आराजी का 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया जिससे व्यथित होकर यह हस्तगत द्वितीय अपील अपीलार्थीगण द्वारा राजस्व मण्डल में पेश की गई है। विवादित आराजी खसरा नंबर 332, 361, 365, 442 की भूमि प्रारम्भ में एक ही खाते में दर्ज होकर गीगा व गीधा का बराबर दो हिस्सा खातेदार कॉलम में दर्ज था तथा विवादित आराजी के अलावा खसरा नंबर 361, 365, व 442 की आराजी गीगा व गीधा के विधिक वारिसानों के पास है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण सम्मिलित है तथा संयुक्त रूप से खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व गणपत उर्फ गणिया काश्तकार था तथा संवत् 2001 में फौत होने के कारण संवत् 2012–15 की जमाबंदी में गणिया वल्द गीगा फौत माला, डूंगर का जो अंकन है उससे यह तथ्य भलीभांति प्रमाणित होता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व गणिया फौत हो चुका था ओर संवत् 2012 में ही बतौर वारिस माला एवं डूंगर का नाम दर्ज कर दिया गया। विचारण न्यायालय ने दावा खारिज करने का आधार मात्र यह अंकित किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि को वादीगण की पैतृक कृषि भूमि एंव कब्जाकाश्त की होने बाबत् किसी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं कर पाये तथा राजस्व रिकार्ड में माला, डूंगर अंकन है उसमें वल्दियत आदि दर्ज नहीं होने से काश्तकार की हैसियत ज्ञात नहीं होती। प्रस्तुत राजस्व अभिलेख अनुसार गंगाराम व गणपत गीगा के वारीसान है तथा संवत् 1982 की वंशावली में गीगा के दो पुत्र गंगाराम व गणपत उर्फ गणिया अंकित किया गया है जिसका खंडन प्रतिवादी द्वारा कहीं नहीं किया गया है अर्थात गणिया का भाई गंगाराम होना साबित है। गंगाराम संवत् 1996 में ही फौत होना और संवत् 1996 में ही गणपत उर्फ गणिया का नाम दर्ज होना प्रदर्श–डी–2 से स्पष्ट है। अपीलीय प्राधिकारी ने वादी व प्रतिवादी पक्षकार का नाम संवत् 2001 से 2030 तक कृषक कॉलम में दर्ज होना माना है तथा संवत् 2012 से 15 की जमाबंदी में भी नाम दर्ज होना राजस्व रिकार्ड से प्रमाणित माना। वाद में मुख्य तनकी सं.1 थी जिसे अपीलीय न्यायालय ने विरचित तनकी सं.1 का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध राजस्व रिकोर्ड एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादी के पक्ष में विस्तृत विवेचन सहित किया है तथा विवादित आराजी वादी व प्रतिवादी के पूर्वज गीगा की निर्विवाद होना स्पष्ट करते हुये गंगाराम व गणपत उर्फ गणिया को गीगा का पुत्र होना माना है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय में यह निर्धारण किया है कि गणिया के पुत्र ने अपने जवाबदावे में गंगाराम को गणिया के भाई होने के तथ्य से इंकार नहीं किया। साथ ही गंगाराम के पुत्र मालाराम को गणिया का भतीजा होने के तथ्य

से भी स्पष्ट इंकार नहीं किया है। इस प्रकार तथ्यात्मक रूप से गीगा के दोनों बेटों के वारिसान का पैतृक आराजीयात में आधा–आधा हिस्सा होना प्रकट होता है। इस संदर्भ में राजस्व अपील प्राधिकारी की विवेचना उचित है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने वादीगण प्रत्यर्थीगण को विवादित आराजी में 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुये विभाजन कराने का हकदार घोषित किया है तथा विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 8–4–04 को निरस्त किया है, जो हमारे विनम्र मत में न्यायोचित प्रकट होता है। यह तथ्य निर्विवाद है कि विवादित आराजी पक्षकारान के दादा गीगाराम की थी जिसमें उसके दो पुत्र गंगाराम व गणपत उर्फ गणिया का नियमानुसार 1/2–1/2 हिस्सा था। रेस्पोडेंट मालाराम के वारिसान ने गंगाराम के पुत्र होने के नाते विवादित आराजी में से 1/2 हिस्से की घोषणा चाही है तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उसे विवादित आराजी का 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया है। किंतु इस खंडपीठ के विनम्र मत में गंगाराम के तीन पुत्र थे ऐसी स्थिति में मात्र गंगाराम के एक पुत्र मालाराम को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना गंगाराम के अन्य विधिक वारिसानों के हितो पर कुठाराधात करना है। ऐसी स्थिति में गंगाराम के पुत्र मालाराम के वारिसों के साथ गंगाराम के अन्य विधिक वारिसान को भी गंगाराम के 1/2 हिस्से में संयुक्त रूप से खातेदार घोषित किया जाना न्यायसंगत होने से गंगाराम के प्रत्यर्थीगण सहित सभी विधिक वारिसों को विवादित आराजी के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। उपर्युक्त विवेचनानुसार यह स्पष्ट है कि योग्य प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर कैंप चूरू ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27–10–05 से न्यायालय उपखंड अधिकारी चुरू का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 8–4–04 को अपास्त करने में तथ्य या विधि संबंधी ऐसी कोई तात्विक त्रुटि कारित नहीं की है, जिसमें हस्तगत् द्वितीय अपील के आधार पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सके। ऐसी स्थिति में हस्तगत् द्वितीय अपील खारिज किये जाने योग्य है।

7– परिणामतः हस्तगत अपील खारिज योग्य होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है। प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर कैंप चूरू के निर्णय व डिक्री दिनांक 27–10–05 में गंगाराम के पुत्र मालाराम के वारिसों सहित गंगाराम के अन्य विधिक वारिसान के नाम भी गंगाराम के 1/2 हिस्से में नियमानुसार दर्ज किये जाने की हद तक संशोधित किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को प्रेषित की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे। निर्णय की सूचना अभिभाषक उभय पक्ष की दी जाकर पत्रावली बाद फैसल शुमार दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य

(सानुज कुलश्रेष्ठ)
सदस्य